

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


गु.नं 83/16 तारीख रजु 21-12-16

उगवान - धुइग लाल बनाम चर्मे जायव
आखावाडा

प्रार्थना पत्र आस्थायी निवेधाना

प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल A.V. ने प्रार्थना पत्र आस्थायी निवेधाना पेश किया। शपथ पत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपार्थी को जरिये नोटिस सेतलव कर पत्रावली दि. 4-1-17 को पेश हो।

3876-77
22-12-16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करोली)

4-1-17

प्रार्थी वकील उप. अ. प्रार्थी नं. 1 चर्मे उप. अ. प्रार्थी नं. 2 काबजूद सूचना उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पेश करने जबरन दिनांक 10-1-17 को पेश हो।

एवम

10-1-17

प्रार्थी वकील एवं प्रतिवादी नं. 2 उपस्थित। अंतरिम आस्थायी निवे. के बिन्दु पर बहस सुनी गयी प्रथम हद पर मामला उचित प्रतीत होने से गैरसापत्तान को अंतरिम आस्थायी निवेधाना से पाबंद किया जाता है कि ग्राम आखावाडा की भूमि (क. नं. $\frac{1171}{0.51}$, $\frac{1186}{0.07}$, $\frac{1198}{0.03}$, $\frac{1199}{0.04}$, $\frac{1200}{0.05}$, $\frac{1201}{0.06}$, $\frac{1505}{0.26}$, $\frac{1513}{0.35}$, $\frac{1562}{0.34}$, कुल फिता $\frac{9}{1.77}$ पर टिकट एवं मोंडे की घोषणा कनाये रहे। वास्ते जबरन दिनांक 14-2-17 को पेश हो।

एवम

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
14.2.17	वादी वकील एवं अधीन नं. 1 उपस्थित / बस्ते जलपट्टि	
16.3.17	को पेश हो।	
16.3.17	वकुलाम उप. पीगसीन अधिकारी मीठिंगे मे करीली पधाहे। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 6.4.17 को पेश हो।	
6.4.17	वादी वकील व अधीन नं. 1 उपस्थित / अधीन नं. 1 को हिदायत दी जाती है कि आगामी बुधवार तिथि पर वकालतनामा व जम्बब कावपक रूप से पेश करे। अफवा आगे लगप अधीन दिया जाएगा। दिनांक 18.4.17 को पेश हो।	
18.4.17	वादी वकील व अधीन नं. 1 उपस्थित / अधीन नं. 1 ने ना तो कोर्ट जम्बब पेश किया नारि कोर्ट वकील किया जबकि गत पेशी पर इस मन्त उन्हे आदेशित कर दिया गया। अधीन वकील ने बहस करते हुए आर्चना पत्र में वर्णित लफ्ते को दोहराते हुए दिनांक 10.1.17 को जारी की गई अंतिम आस्थाई निवेदाज्ञा का ता दावा फैसला बन्दगी करने का निवेदन किया। अधीन नं. 1 ने कोर्ट में कथन नहीं किया। आर्चना पत्र साफल स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार कर दिनांक	

आयालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

10/11/17 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद
 के फ़ैसला होने तक बन्दफर्द किया जाता है एम

पत्रावली की सूची सं. नं. $\frac{1171}{0.55}$, $\frac{1186}{0.07}$, $\frac{1198}{0.03}$, $\frac{1199}{0.04}$


$\frac{1200}{0.03}$, $\frac{1201}{0.06}$, $\frac{1505}{0.26}$, $\frac{1513}{0.35}$, $\frac{1562}{0.34}$ कुल मिला $\frac{9}{1.77}$

ए रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बन्द रखने हेतु

गैरहाजिरान को पाबन्द किया जाता है पत्रावली

के फ़ैसला सुनकर दोस्त नभूत से कम होकर दावा पत्रावली

के साथ संलग्न रहे।



उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)